(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 26/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि. .... (अ) – एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा एकीकृत माल एवं सेवा कर, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर में छूट प्रदान करती है।

[फा.सं. 354/173/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार